फर्द अहकाम

ायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :– 171/2024

बीना देवी **बनाम** सरकार

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा हाजिर। प्रतिवादी सरकार तहसीलदार तहसील चाकसू का जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 21.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
1.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि में खसरा नंबर 539/511, 512/482, वाके ग्राम श्रीनिवासपुरा उर्फ थूणी तहसील चाकसू मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। उक्त खसरा नंबर की किस्म बारानी की जगह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दुरूस्त घोषित किया जाना बताया गया। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि खाता संख्या 51 सिवायचक बिला लगानी के खसरा नंबर 153 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल 2004 के अनुसार उक्त खसरा नंबर 153 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के साबिक खसरा नंबर 238 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जो मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त 2004 के खाता संख्या 47 सिवायचक बिला लगानी मे रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अतः वादी के शपथ पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि खसरा नंबर 481, 481/573 की साबिक रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। मौके पर रास्ते के उपयोग आ रहा है किस्म मौके अनुसार रास्ता दर्ज किया जावें। इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	